2025 : CGHC : 49377
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक: 24.07.2025

निर्णय पारित करने का दिनांक: 26.09.2025

दाण्डिक अपील क्रमांक 271 वर्ष 2010

वीरेन्द्र नेताम, आयु लगभग 55 वर्ष,

आत्मज स्व. विश्राम सिंह, निवासी–

कुम्हारपारा, डी.वी. गैस एजेंसी के पीछे,

जगदलपुर, (छ.ग.)

----अपीलार्थी

विरुद्ध

भारत संघ, द्वारा सी.बी.आई., भोपाल (म.प्र.),

वर्तमान में द्वारा सी.बी.आई. भिलाई इकाई, भिलाई,

जिला–दुर्ग (छ.ग.)

----प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से: श्री बी.पी. शर्मा, श्री के.एन. सिंह एवं श्री एम.एल. साकत, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी की ओर से: श्री बी. गोपा कुमार, अधिवक्ता।

दाण्डिक अपील क्रमांक 275 वर्ष 2010

1 – परशुराम देवांगन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि (आदेश दिनांक 20–08–2024 के अनुसार) :

1.1 – श्रीमती यशोदा देवांगन, पति परशुराम देवांगन, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी 36/के, धनीराम गली, पथरागुड़ा, भगत सिंह वार्ड क्र. 6, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

1.2 – श्रीमती शैल देवांगन, पति अनिल देवांगन, पुत्री परशुराम देवांगन, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी 36/1, धनीराम गली, पथरागुड़ा, भगत सिंह वार्ड क्र. 6, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

----अपीलार्थी

विरुद्ध

भारत संघ, द्वारा सी.बी.आई., भोपाल (म.प्र.),

वर्तमान में द्वारा सी.बी.आई. भिलाई इकाई, भिलाई,

जिला–दुर्ग (छ.ग.)

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से: श्री वाई.सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुश्री पूजा लोनिया, अधिवक्तागण।
प्रत्यर्थी की ओर से: श्री बी. गोपा कुमार, अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे
सी.ए.वी. निर्णय

1. क्योंकि ये दोनों अपीलें विद्वान विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) एवं प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण (सी.बी.आई.) क्रमांक 46/04 में पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 19.03.2010 से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सुना गया है और इस संयुक्त निर्णय द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 271/2010 में

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120B के अन्तर्गत	2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भा.दं.सं. की धारा 420/120B के अन्तर्गत	2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भा.दं.सं. की धारा 468/120B के अन्तर्गत	3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भा.दं.सं. की धारा 471/120B के अन्तर्गत	3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

(सभी मूल दण्डादेश साथ–साथ चलेंगे।)

दाण्डिक अपील क्रमांक 275/2010 में

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120B के अन्तर्गत	2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भा.दं.सं. की धारा 420 के अन्तर्गत	2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भा.दं.सं. की धारा 468 के अन्तर्गत	3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भा.दं.सं. की धारा 471 के अन्तर्गत	3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(d) के अन्तर्गत	01 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/– रुपये अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

(सभी मूल दण्डादेश साथ–साथ चलेंगे।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपीलार्थियों द्वारा यथा प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 202/1995 में दिनांक 07.01.1998 एवं 30.07.1998 को पारित अपने आदेशों द्वारा, तत्कालीन मध्य प्रदेश के जिला बस्तर में 'मलिक मकबूजा' एवं अन्य सरकारी भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई के संबंध में लोकायुक्त (तत्कालीन म.प्र.) की अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर समस्त तथ्यों के अन्वेषण का निर्देश सी.बी.आई. को दिया था। तदनुसार, सी.बी.आई. ने इस प्रकरण में दिनांक 08.12.1998 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20 'ए') दर्ज की। इस प्रकरण के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि आरोपी बृहस्पति लाल (मृतक आरोपी), आरोपी धीरपाल ठाकुर (मृतक आरोपी) और आरोपी वीरेंद्र नेताम, जो सभी ग्राम बिंजौली के निवासी एवं आदिवासी हैं, भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे, जैसा कि आरोप–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हो सकता है। सी.बी.आई. को ज्ञात किन्हीं विशिष्ट कारणों से, आक्षेपित निर्णय में उल्लेखित चार व्यक्तियों को छोड़कर, अन्य सभी व्यक्तियों अर्थात् दंतेवाड़ा के तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर सर्वश्री एम.आर. सारथी, पंकज राव, एम.एस. पैकरा, अमीर अली, अनुराग जैन और तत्कालीन विधायक महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक राजाराम तोड़ेम, एस.सी. खुराना, श्रीनिवास अवस्थी एवं बृजमोहन गुप्ता के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है; यद्यपि यदि सी.बी.आई. के अन्वेषण को जैसा है वैसा ही लिया जाए, तो अन्य आरोपी व्यक्ति भी आरोपित किए जाने के उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अपराध पंजीबद्ध किया गया है, अतः तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलार्थियों सहित

आक्षेपित निर्णय में आरोपी के रूप में वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया गया। अपीलार्थी वीरेंद्र नेताम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420/120B, 468/120B एवं 471/120B के तहत आरोप–पत्र दाखिल किया गया है, जबकि अपीलार्थी परशुराम देवांगन के विरुद्ध धारा 120B, 420, 468, 471 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(d) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत आरोप–पत्र दाखिल किया गया है और यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थियों ने तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के साथ छल और कपट किया है। हालांकि, क्योंकि नए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो चुका है, अतः विद्वान न्यायाधीश ने आरोपों में यह परिवर्तन किए बिना कि मध्य प्रदेश राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के साथ छल और कपट किया गया है, केवल कोष्ठक में (अब छत्तीसगढ़ राज्य) लिखकर, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ छल और कपट किए जाने के निष्कर्ष पर पहुंचे और अपीलार्थियों को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध किया।

3. अन्वेषण के दौरान, अभियोजन एजेंसी ने पाया कि आक्षेपित निर्णय में उल्लेखित व्यक्ति अर्थात् बृहस्पति लाल कश्यप और धीरपाल ठाकुर (जिन दोनों की विचारण के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है), और वर्तमान अपीलार्थियों ने दिनांक 08.11.1988 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से ग्राम बिंजौली, तहसील कोण्डागांव, जिला बस्तर में स्थित खसरा क्रमांक 30/47, रकबा 10.22 एकड़ भूमि क्रय की थी। अपीलार्थी और एक धीरपाल ठाकुर ने बृहस्पति लाल कश्यप (अब मृतक) के पक्ष में एक पंजीकृत मुख्तारनामा निष्पादित किया था, जिसने दिनांक 25.04.1989 को 277 वृक्षों की कटाई के लिए आवेदन किया था। तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर श्री मनोज कुमार गोयल ने अपनी नस्ती में प्रकरण दर्ज किया और आदेश दिनांक 21.06.1989 के माध्यम से उक्त बृहस्पति लाल कश्यप को 150 वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की। यह अभिकथित है कि अतिरिक्त कलेक्टर के रीडर अर्थात् परशुराम देवांगन ने वृक्षों की संख्या 150 से परिवर्तित कर 250 कर दी और तदुपरांत, आरोपी वीरेंद्र नेताम, बृहस्पति लाल कश्यप (अब मृतक) और धीरपाल ठाकुर (अब मृतक) ने सामान्य आशय से लाभ प्राप्त करने हेतु कपटपूर्वक 250 वृक्ष काट दिए। तत्पश्चात उक्त वृक्षों को बृहस्पति लाल कश्यप (अब मृतक) द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी, कोण्डागांव (छ.ग.) के समक्ष वन विभाग को सुपुर्द किया गया और इसके बदले में, उनके द्वारा 9,97,279/– रुपये अवैध रूप से प्राप्त किए गए। इस प्रकार, आरोपियों/अपीलार्थियों द्वारा वन विभाग को 3,98,912/– रुपये की क्षति कारित की गई और आरोपियों/अपीलार्थियों ने उसी राशि का लाभ प्राप्त किया। अतः, सार रूप में, 100 अतिरिक्त वृक्ष अवैध रूप से काटे गए और उक्त कृत्य कथित तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत अपराध गठित करता है।

4. उचित एवं आवश्यक अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने बदले में प्रकरण को विचारण हेतु उपार्पित कर दिया। आरोप–पत्र में समाहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपित अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए। अपीलार्थियों द्वारा अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया गया है और विचारण चाहा गया है।

5. आरोपी/अपीलार्थियों को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन ने कुल 12 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तों/अपीलार्थियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। अपनी प्रतिरक्षा में, अपीलार्थियों ने 01 साक्षी प्रस्तुत किया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात, अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया और उन्हें इस निर्णय के प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लेखित अनुसार दण्डित किया। तदनुसार, अपीलार्थियों द्वारा वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

7. दाण्डिक अपील क्रमांक 271/2010 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अनुचित है और विधि के अनुसार कायम रहने योग्य नहीं है। विद्वान विशेष न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे हैं कि किसी भी समय या किसी भी स्थान पर अभियुक्तों के मध्य आपराधिक षड्यंत्र रचने का लेशमात्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार की कल्पना द्वारा कथित षड्यंत्र में वर्तमान अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि विरुद्ध है। विद्वान विशेष न्यायाधीश यह स्वीकार करने में विफल रहे कि वृक्ष स्वामित्व की भूमि पर स्थित थे और सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही उन्हें काटा गया था, और मात्र अधिक संख्या में वृक्षों के काटे जाने से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कटाई से मध्य प्रदेश राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य के साथ छल या कपट किया गया है, अथवा अपीलार्थी द्वारा राज्य की संपत्तियों से अवैध लाभ प्राप्त किया गया है। विद्वान विशेष न्यायाधीश वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अभियुक्त बृहस्पति लाल कश्यप के पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामा के विधिक महत्व और प्रभाव को समझने में विफल रहे और मालिक – अभिकर्ता संबंधों से संबंधित विधि के मूलभूत सिद्धांतों की अनदेखी की। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि केवल मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने मात्र से, कथित रूप से छल का शिकार होने वाला पक्ष परिवर्तित हो गया, और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय संबंधित विधि अर्थात् म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 एवं विधि के अन्य प्रावधानों का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा। सक्षम न्यायालय के रीडर द्वारा अंक '1' को '2' में परिवर्तित करने में वर्तमान अपीलार्थी की किसी भी भूमिका का साक्ष्य न होने के बावजूद, दोषसिद्धि का आधार निर्मित नहीं किया जा सकता। विद्वान विशेष न्यायाधीश को अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए अप्रदर्शित दस्तावेजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और न ही अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से दोषसिद्ध करने के लिए अटकलों का सहारा लेना चाहिए था। विद्वान विचारण न्यायालय अभियोजन और प्रतिरक्षा द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों का विधिक रूप से और साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य के परिशीलन के सिद्धांतों के अनुसार मूल्यांकन करने में विफल रहा है। विद्वान विशेष न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि 'संदेह' और 'प्रमाण' के बीच एक लंबी दूरी होती है और इस प्रकरण में अभियोजन एजेंसी की भूमिका अटकलों या दूरगामी कल्पनाओं पर आधारित रही है, जिन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी पर अधिरोपित दण्डादेश विधि की दृष्टि में अत्यधिक है। अतः, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

8. दाण्डिक अपील क्रमांक 275/2010 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देते हैं कि स्वर्गीय परशुराम देवांगन निर्दोष हैं, और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अ.सा.–06, जिन्होंने आदेश जारी किया था, उन्होंने स्वयं या उनके अधीनस्थों द्वारा किए गए सुधारों/संशोधनों पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। विद्वान विचारण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय यह भी समझने में विफल रहा कि अ.सा.–06 द्वारा वृक्षों की कटाई की मात्रा के निर्धारण के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और न ही उक्त आदेश में इस संबंध में कोई मापदंड दर्शाया गया था। रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 202/1995 में अभियोजन के मामले के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई के संबंध में लोकायुक्त (तत्कालीन म.प्र.) के प्रतिवेदन को देखते हुए दिनांक 09.10.1998 और 30.07.1998 को सी.बी.आई. द्वारा जांच का आदेश पारित किया था। उसी के आधार पर, सी.बी.आई. ने 08.12.1998 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और यह पाया गया कि आरोपी बृहस्पति लाल कश्यप (मृत), धीरपाल ठाकुर (मृत) और वीरेंद्र नेताम ने आदिवासियों की भूमि खरीदी थी। इसके पश्चात, बृहस्पति लाल (मृत) ने दिनांक 25.04.1989 को आवेदन देकर खेत में खड़े 277 वृक्षों को काटने की अनुमति मांगी। उस आवेदन पर, अतिरिक्त कलेक्टर जगदलपुर ने राजस्व विभाग और वन विभाग से रिपोर्ट मंगवाई और तत्पश्चात दिनांक 21.06.1989 को आदेश पारित कर 150 वृक्षों को काटने और उन्हें वन विभाग को बेचने की अनुमति प्रदान की। यह आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने आदेश प्राप्त करने के बाद अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ '150' शब्द को '250' में कूटरचित कर दिया और उसके आधार पर आरोपी वीरेंद्र नेताम, बृहस्पति लाल कश्यप और धीरपाल ठाकुर ने 250 वृक्ष काटे और उन्हें वन संरक्षक, कोण्डागांव को 9,97,279/– रुपये में बेच दिया, जिससे उन्हें 3,93,912/– रुपये प्राप्त हुए। आरोपों के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(d) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अ.सा.–06 ने अपने कथन में स्वीकार किया है कि उन्होंने अपीलार्थी का कथन दर्ज नहीं किया और न ही सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण किया। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में भी विफल रहा कि अभियोजन (सी.बी.आई.) आक्षेपित आदेश की वैधता और औचित्य को सिद्ध करने में विफल रहा है, जिससे यह पता चल सके कि ऐसे आदेश जारी करने का मापदंड क्या था और आदेश जारी करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व कैसे निर्धारित किया जाए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए विद्वान राज्य अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया है। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उचित रूप से दोषसिद्ध किया है। इसलिए, ये अपीलें विचार योग्य नहीं हैं और इनमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानी के साथ परिशीलन किया है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने आरोपी/अपीलार्थी परशुराम देवांगन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(d) के साथ पठित 13(2) के तहत आरोप विरचित किए थे और सह–अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420B, 468/120B और 471/120B के तहत दोषसिद्ध किया था।

12. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अभियुक्त/अपीलार्थी स्वर्गीय परशुराम देवांगन, अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर के न्यायालय में रीडर के रूप में पदस्थ थे और

स्वर्गीय अभियुक्त बृहस्पति लाल कश्यप, स्वर्गीय अभियुक्त धीरपाल ठाकुर तथा वर्तमान अपीलार्थी/अभियुक्त वीरेंद्र नेताम ने आदिवासियों की भूमि क्रय की थी। तत्पश्चात, बृहस्पति लाल कश्यप (स्वर्गीय अभियुक्त) ने दिनांक 25.04.1989 के आवेदन के माध्यम से खेत में खड़े 277 वृक्षों को काटने हेतु आवेदन किया था और इस आवेदन पर, अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर ने राजस्व विभाग एवं वन विभाग से प्रतिवेदन आहूत किया और उसके बाद, दिनांक 21.06.1989 को आदेश पारित किया। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर ने 150 वृक्षों को काटने और उन्हें वन विभाग को बेचने की अनुमति प्रदान की थी, किंतु सभी अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों ने '150' शब्द को '250' में कूटरचित कर दिया और साथ ही अन्य दस्तावेजों में भी परिवर्तन किया। इसके आधार पर वीरेंद्र नेताम, बृहस्पति लाल कश्यप और धीरपाल ठाकुर नामक अभियुक्तों ने 250 वृक्ष काटे और उन्हें वन संरक्षक, कोण्डागांव को 9,97,279/– रुपये में विक्रय कर दिया और तदुपरांत 3,93,912/– रुपये की राशि प्राप्त की।

13. अपने मामले की पुष्टि करने हेतु, अभियोजन ने कुल 12 साक्षियों का परीक्षण किया है और प्रदर्श पी/1 से प्रदर्श पी/27 तक के दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। अभियुक्त ने भी 3 दस्तावेज अर्थात् प्रदर्श डी/1, प्रदर्श डी/1 सी और प्रदर्श डी/1 डी प्रदर्शित किए तथा अपनी प्रतिरक्षा में एक साक्षी किशोर जाधव का परीक्षण कराया।

14. (अ.सा.–01) कृष्णमुरारी पाणिग्रही ने कथन किया कि प्रदर्श पी/01 में राजस्व प्रकरण क्रमांक 41/ए–63/88–89, बृहस्पति लाल कश्यप बनाम मध्य प्रदेश राज्य, का आदेश है; अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर ने 21.06.1989 को आदेश पारित किया था। प्रदर्श पी/01 में, 'ए से ए' भाग हस्तलिखित रूप में '250' है और यह लिखावट अभियुक्त परशुराम देवांगन की प्रतीत होती है। अपनी प्रति–परीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि वह कभी भी अपीलार्थी परशुराम देवांगन के साथ पदस्थ नहीं रहे और वह हस्तलेख विशेषज्ञ नहीं हैं।

15. (अ.सा.–03) अनिल कुमार आचार्य, लेखापाल ने कथन किया है कि प्रदर्श पी/01 के 'ए से ए' भाग में अधिलेखन किया गया प्रतीत होता है।

16. (अ.सा.–06) मनोज कुमार गोयल ने कथन किया है कि वह उक्त घटना के समय अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर के रूप में पदस्थ थे और उन्होंने 25.03.1989 को आदेश पारित किया था। उन्होंने फाइल प्रदर्श पी/09 में 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और सी.बी.आई. द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कंडिका 2 में निम्नानुसार कथन किया:–

> " बाद में जब सी0बी0आई0 द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही थी तब मुझसे इस संबंध में पूछताछ किये जाने पर मैने इस प्रकरण की नस्ती प्रदर्श पी0 9 को देखने के बाद यह बताया था कि मेरे आदेश दिनांक 21.06.89 जिसके द्वारा जितने वृक्षो को काटने की अनुमति दी गई थी उसमें 150 वृक्षों लिया हुआ था जिसमें उपरी लेखन करके 250 किसी के द्वारा बनाया गया है उक्त आर्डर सीट दिनांक 21.06.89 नस्ती के पृष्ठ 4 पर पृष्ठ 3 के पिछले भाग है जो कि उपरी लेखन वाला अंश अ से अ भाग पर है इस नस्ती के पृष्ठ– 33 पर मेरे आदेश की कार्बन कॉपी लगी है जो प्रदर्श पी0 9 ए है जिसके अंतिम पैरा में लिखे 150 के अंक एक को ओवर टाईप करके अंक दो में बदला है। जिससे वह अंक 250 हो गया है इस तरह 150 वृक्षों के स्थान पर 250 वृक्षों को काटने की स्वीकृति बना ली गई है

तथा इसके अलावा उस 250 अंक के उपर पेन से दो सौ पचास लिखकर जोड़ा गया है जो कि मेरे द्वारा नही लिखा गया है। राजस्व प्रकरण के नस्तीयों का सन्धारण रीडर करता था उस समय मेरा रीडर परसूराम था । अतः संभावना यह है कि यह उलट–फेर रीडर ने की होगी या करायी होगी। यद्यपि मैं आज यह नही बता सकता हूॅ कि उक्त दो सौ पचास शब्द किसके हस्तलेख में है। उक्त उलट–फेर चूंकि बहुत महत्वपूर्ण था जिसके द्वारा वृक्षों की संख्या में एक सौ का अंतर आ रहा था अतः यदि वह मेरे आदेश से किया जाता तो निश्चय ही उस स्थान पर मेरे लघु हस्ताक्षर होते। "

अपनी प्रति–परीक्षा के कंडिका 6 में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि इस प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व, तहसीलदार को मामले का निरीक्षण करने के लिए कहा जाता है और उन्होंने स्वीकार किया कि तहसीलदार ने ज्ञापन का निरीक्षण किया और उसे संलग्न किया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में उन्होंने 277 वृक्षों की कटाई की अनुशंसा की थी और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से भेजी थी तथा दिनांक 25.04.1989 की आदेश–पत्रिका में यह लिखा गया था कि रिपोर्ट देख ली गई है और उसे आगामी कार्यवाही हेतु अपर जिला अध्यक्ष को अग्रेषित किया जाता है। अपनी प्रति–परीक्षा के कंडिका 7 में, उन्होंने स्वीकार किया कि अनुविभागीय वन मंडलाधिकारी ने भी 276 वृक्षों की कटाई की अनुशंसा की थी और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह 250 वृक्षों की कटाई की अनुमति देने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने अंतिम पंक्ति में आगे यह स्वीकार किया कि टंकित शब्द "वन विभाग" के संबंध में उन्होंने स्वयं कलम से लिखा है और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस शब्द पर अपने लघु हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन्होंने पुनः स्वीकार किया कि...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" यह कहना सही है कि दिनांक 21.06. 89 की आर्डर सीट में टंकित लाईन के उपर जो पेन से वाक्य लिखे गये है वह मेरे द्वारा ही लिखे गये है। साक्षी ने आदेश पत्रिका देखकर बताया कि इसमें हाथ से लिखे गये प्रथम शब्द को काटकर दो उपर लेखन करके बनाया गया है वह मेरे द्वारा नही बनाया गया है। यह सही है कि पेन द्वारा लिखे जाने की बाद मैंने लघु हस्ताक्षर नही किया है। "

17.(अ.सा.–11) मनीष वी. मूर्ति, विवेचना अधिकारी ने अपनी प्रति–परीक्षा के कंडिका 28 में यह स्वीकार किया है कि वृक्षों की कटाई से प्राप्त कुल राशि लगभग 9,97,279/– रुपये है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कोण्डागांव के बृहस्पति लाल कश्यप के खाता क्रमांक 3/11426 में जमा किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि खोला गया खाता एक संयुक्त खाता है जिसमें कलेक्टर का नाम भी उल्लेखित है। उन्होंने अपनी प्रति–परीक्षा के कंडिका 12 में स्वीकार किया कि प्रदर्श पी/20–ए में कहीं भी ग्राम बिजोली का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कंडिका 22 में आगे यह स्वीकार किया जो इस प्रकार है:–

"22. यह कहना सही है कि मैंने विवेचना में पाया था कि डीएफओ ने 276 एवं तहसीलदार कोंडागांव में 277 वृक्ष काटे जाने योग्य पाया था। यह कहना

सही है कि वृक्ष कटाई के प्रकरण दर्ज होने के बाद अपर कलेक्टर अपन अधिनस्थ कर्मचारी एवं वन अधिकारी से प्रतिवेदन एवं जांच रिपोर्ट मंगवात है। यह कहना सही है कि मैंने विवेचना के दौरान यह पाया था कि 250 स अधिक वृक्ष कटाने जाने हेतु प्रतिवेदन इस प्रकरण में आया था। यह कहना सही है कि आदेश हो जाने के पश्चात आदेश की एक प्रति संबंधित वन विभाग को भेजी जाती है। यह कहना सही है कि पेड कटाई के बाद कटे हुए वृक्षों को वन विभाग क्रय करती है। यह कहना सही है कि मैंने विवेचना में पाया थाकि काटे गये वृक्षों के भुगतान के लिये सयुक्त खाते खोले जाते है जिसमें कलेक्टर एवं खातेदार के नाम से होते है। यह कहना सही है कि भुगतान की राशि कलेक्टर की अनुमति से खातेदार को प्राप्त होता है।

18.(अ.सा.–12) एस. शाह हस्तलेख विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हस्तलेख रिपोर्ट प्रदर्श पी/27 प्रस्तुत की और उन्होंने 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए तथा 'बी से बी' भाग में उन्होंने कथन किया कि उन्होंने ए.एस. गुप्ता के हस्ताक्षर की पहचान की है। अपनी रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह राय व्यक्त की कि अभियुक्त स्वर्गीय परशुराम देवांगन द्वारा अधिलेखन किया गया था, जिन्होंने '150' शब्द को '250' कर दिया था। अपनी प्रति–परीक्षा के कंडिका 6 में उन्होंने स्वीकार किया कि...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"यह बात सही है कि मेरे पास जो दस्तावेज प्र०पी० 18 है। स्पेसिमेन मेरे सामने नमुना लिखावट मेरे समक्ष नहीं लिये गये। मैं यह भी नहीं बता सकता कि स्पेसीमेंन में लिखावट अभियुक्त परसुराम के है या नहीं क्योंकि मेरे सामन इसी प्रकार से स्पेसिमेंन रायटिंग नहीं है गवाह स्वतः कहता है कि जो दस्तावेज स्पेसिमेन लिखावट है उसके कम उपर जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका नाम लिखा है। स्वतंत्र साक्षियों के नाम भी लिखे है जिसके सामने लिखे है। "

अपनी प्रति–परीक्षा के कंडिका 14 में उन्होंने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी/27 के कंडिका 1 से 9 में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि उन्होंने नमूना दस्तावेज का मूल दस्तावेज के साथ मिलान किया है। (अ.सा.–11) मनीष वी. मूर्ति, विवेचना अधिकारी ने प्रतिरक्षा के इस सुझाव को स्वीकार किया कि...

" यह कहना सही है कि प्र0पी0–18 में कही पर भी अभियुक्त परसुराम देवांगन के हस्ताक्षर नही है। स्वतः कहा कि दो साक्षियो के समक्ष अभियुक्त ने हस्तलेख दिया था और इसके पृष्ठी हेतु दोनो गवाहो ने नमूने प्रलेख पर बतौर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्त श्री परसुराम देवांगन के दबाव डालकर नमूनालेख प्राप्त किया था। "

19. समस्त साक्षियों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि (अ.सा.–06) मनोज कुमार गोयल, अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर ने वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान की थी और दिनांक 21.06.1989 का आदेश एक टंकित आदेश था। इस आदेश में दो स्थानों पर—'ए से ए' भाग में और अंतिम पंक्ति में—कलम से नीली स्याही द्वारा "दो सौ पचास" और "वन विभाग को" लिखा गया है, तथा 'बी से बी' भाग में यह '250' के रूप में टंकित है। अभियोजन का आरोप यह है कि 'ए से ए' भाग अभियुक्त परशुराम देवांगन द्वारा लिखा गया है और 'बी से बी' भाग में पूर्व

में '150' टंकित था, जिसे अभियुक्त परशुराम देवांगन द्वारा कूटरचित कर '250' किया गया। हालांकि, हस्तलेख विशेषज्ञ के कथन और अभियुक्त परशुराम देवांगन के हस्तलेख के नमूने से यह स्पष्ट है कि अभियोजन ने प्रदर्श पी/18 के माध्यम से नमूना हस्तलेख पत्र पर परशुराम देवांगन के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त कलेक्टर (अ.सा.–06) मनोज कुमार गोयल ने अपनी प्रति–परीक्षा के कंडिका 07 में स्वीकार किया कि जो शब्द नीली स्याही से लिखे गए हैं, वे उनके स्वयं के हस्तलेख में हैं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने उन पर अपने हस्ताक्षर/लघु हस्ताक्षर नहीं किए थे।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जुपेली लक्ष्मीनकांथा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में कंडिका 12, 13, 14, 19 और 20 में निम्नलिखित विधि निर्धारित की गई है:–

> 12. छल के अपराध के घटक निम्नलिखित हैं:
>
> 1. किसी व्यक्ति को मिथ्या व्यपदेशन द्वारा धोखा देना, जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो या विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, और तदुपरांत:
>
> 2. (क) ऐसे व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करना:
>
> (i) कि वह किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति परिदत्त कर दे, या
>
> (ii) इस हेतु सहमति दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखे, या
>
> (ख) उस व्यक्ति को साशय ऐसा कुछ करने या करने से लोप करने के लिए उत्प्रेरित करना, जिसे वह तब नहीं करता या करने से लोप नहीं करता यदि उसे इस प्रकार धोखा न दिया गया होता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति की क्षति या हानि कारित होती है या कारित होने की संभावना है।
>
> 13. 'बेईमानी से' और 'कपटपूर्वक' शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
>
> "धारा 24. 'बेईमानी से'—
>
> जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को 'बेईमानी से' करता है, यह कहा जाता है।"
>
> "धारा 25. 'कपटपूर्वक'—
>
> कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।"
>
> भा.दं.सं. की धारा 23 सदोष हानि/सदोष अभिलाभ को परिभाषित करती है:
>
> "सदोष अभिलाभ: सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है, जिसका विधिक रूप से हकदार वह व्यक्ति नहीं है जो उसे प्राप्त कर रहा है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"सदोष हानि: सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है, जिसका विधिक रूप से हकदार वह व्यक्ति है जिसे वह हानि हो रही है।"

इन परिभाषाओं की पृष्ठभूमि में घटकों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि छल के अपराध को आकर्षित करने के लिए, एक व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा मिथ्या कथन करना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति को संपत्ति से अलग होने या ऐसा कार्य करने या लोप करने के लिए उत्प्रेरित करे जिसे वह व्यक्ति धोखा न मिलने की स्थिति में नहीं करता, और जिससे उसे शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति में क्षति/हानि होने की संभावना हो।

14. डॉ. शर्मा नर्सिंग होम बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल प्रवंचना अपने आप में छल का गठन नहीं करेगी जब तक कि अन्य आवश्यक घटक, अर्थात बेईमानी से उत्प्रेरित करना स्थापित न हो जाए। इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:

"...दोनों विद्वान न्यायालयों ने अपने निष्कर्ष केवल प्रवंचना पर आधारित किए हैं और इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या परिवाद और उसके संलग्नक भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के अन्य आवश्यक घटक, अर्थात् बेईमानी से उत्प्रेरित करने को प्रकट करते हैं। 'बेईमानी' को भा.दं.सं. की धारा 24 में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ सदोष अभिलाभ या सदोष हानि कारित करने का सुविचारित आशय है; और जब ऐसे आशय के साथ प्रवंचना की जाती है और संपत्ति के परिदान के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, तब धारा 420 के तहत अपराध किया गया कहा जा सकता है..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. शीला सेबस्टियन बनाम आर. जवाहरराज एवं अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भा.दं.सं. की धारा 464 को आकर्षित करने के लिए अभियोजन को यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त ने मिथ्या दस्तावेज बनाया था। आक्षेपित आरोप–पत्र में अपीलार्थी को मिथ्या दस्तावेज बनाने से जोड़ने वाली कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

20. इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 एवं धारा 471 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि अपेक्षित 'दुराशय', अर्थात् विभाग को सदोष हानि कारित करने और स्वयं को सदोष अभिलाभ पहुँचाने के बेईमानीपूर्ण आशय को प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि मान्यता जारी किया जाना कथित कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर नहीं था।"

21. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि सभी साक्षियों ने केवल यह कथन किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द अभियुक्त द्वारा लिखे गए थे। यह भी स्पष्ट है कि 250 वृक्षों की पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा की गई थी, जिसे अभियोजन साक्षियों ने स्वीकार किया है और विवेचना अधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि पूरी राशि भारतीय स्टेट बैंक के खाते में जमा की गई थी। उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि कोई भी राशि अभियुक्त वीरेंद्र नेताम को हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार, सभी साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने केवल यह अनुमान लगाया कि विवादित आदेश प्रदर्श पी/01 में अभियुक्त परशुराम देवांगन, जो एक लोक सेवक हैं, द्वारा कुछ कूटरचना की गई थी। अभियोजन यह तथ्य उचित संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है कि अभियुक्त परशुराम देवांगन या किसी अन्य सह–अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त वीरेंद्र नेताम द्वारा क्या अवैध परितोषण प्राप्त किया गया है। पीठासीन अधिकारी (अ.सा.–06) ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रदर्श पी/1 में नीली स्याही से लिखे गए शब्द "वन विभाग को" उनके स्वयं के हस्तलेख में हैं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर/लघु हस्ताक्षर नहीं किए थे। अतः, यह संभावित है कि 'ए से ए' भाग भी पीठासीन अधिकारी द्वारा ही लिखा गया हो और यह उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है कि 'ए से ए' भाग और संख्या '250' की कूटरचना स्वर्गीय अभियुक्त परशुराम देवांगन द्वारा की गई थी। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि सक्षम अधिकारी ने 277 वृक्षों को काटने की अनुशंसा की थी और पीठासीन अधिकारी (अ.सा.–06) ने भी बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह 250 या 277 वृक्षों को काटने का आदेश देने के लिए सक्षम हैं और पैसा कलेक्टर के खाते में जमा किया गया था। राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, [(2024) 3 SCC 481] के मामले में प्रतिपादित विधि का सुस्थापित सिद्धांत निम्नानुसार है:–

> "30. जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं होगी। यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह उचित संदेह से परे यह सिद्ध करे कि केवल अभियुक्त और केवल अभियुक्त ने ही अपराध किया है। हम पाते हैं कि अभियोजन ऐसा करने में पूरी तरह विफल रहा है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपरोक्त उद्धृत निर्णय के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपना मामला उचित संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है।

23. परिणामतः, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं और अपीलार्थी स्वर्गीय परशुराम देवांगन एवं अपीलार्थी वीरेंद्र नेताम को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

24. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी वीरेंद्र नेताम को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल 25,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की प्रतिभूति इस वचनबंध के साथ प्रस्तुत करे कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने की स्थिति में, नोटिस प्राप्त होने पर उक्त अपीलार्थी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यह बंधपत्र छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

25. विचारण न्यायालय का अभिलेख, इस निर्णय की प्रति के साथ, अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाए।

सही /–

(रजनी दुबे)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur